UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 32 / 2ई0 दिनांक 07/01/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषयः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी–सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। सं0 (FP/UK /ROAD/27227/2017)।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून के 8बी/यू0सी0पी0/06/146/2020/एफ0सी0/1828 दि0 26.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	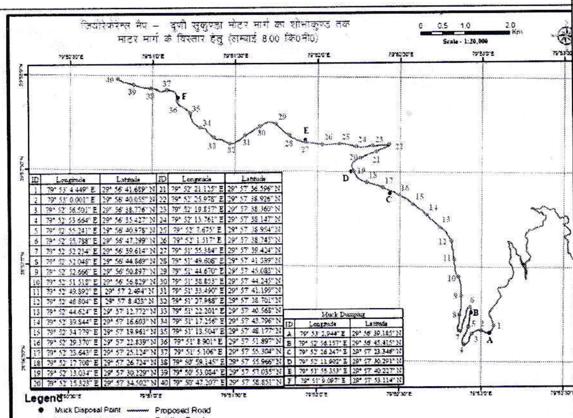 प्रस्तावित मार्ग को डिजिटल मानचित्र के बिन्दु क्र0 34 से आगे बढाये जाने का काई औचित्य नहीं है।	उक्त विषयक प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का भविष्य में विस्तार सुकुण्डा तक किया जाना है। सुकुण्डा एक धार्मिक पर्यटक स्थल है जो स्थानीय लोगों के आस्था का केन्द्र है। यहा पर लोग दूर–दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं प्रति वर्ष यहॉ पर मेला लगता है। बिन्दु क्रमाक 34 तक 6 किमी0 की दूरी में है एवं बिन्दु क्रमाक 34 से 40 तक 2 किमी0 की दूरी पर बिर्थी तोक एवं पन्याती तोक पड़ते हैं। मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 8 किमी0 है। मोटर मार्ग के बन जाने से बिर्थी तोक एवं पन्याती तोक लाभान्वित हो रहे है। अगर यह गॉव नहीं जुड पाए तो बिन्दु क्रमाक 34 तक इस मोटर मार्ग को बनने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। अतः उक्त प्रस्ताव को सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करेगें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट